"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 45] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 6 नवम्बर 2015—कार्तिक 15, शक 1937

भाग 3 (1)

विज्ञापन

न्यायालयों की सूचनाएं

PUBLIC NOTICE
Applicant Adv. Shri P. B. Thakur

THE MOTOR ACCIDENT CLAIMS TRIBUNAL,
CITY CIVIL & SESSIONS COURT, AHMEDABAD

Fixed on :- 03-12-2015 Exh. 41

M. A. C. P. No. 469 OF 2007

APPLICANT :- ABDULKADAR RASULMIYA SHAIKH

Versus

OPPONENT-1. SARDAR INDRAPAL SINH CHAVLA
ADDRESS : G. E. ROAD, TATIBAND, DI-RAIPUR, CHHATTISGARH.

WHEREAS, the applicant has filed claim petition in this tribunal for compensation of Rs. 3, 50,000/- U/s. 166 & Rs. 25,000/- U/s 140 of M. V. Act on 02-02-2007 for accident caused by VEHICLE NO. CG-04-G-1377 & GJ-1-HL-4804 on Dt. 28-10-2006 ON AKOLA NAGPUR ROAD, in jurisdiction of BORGAM MANJU Police Station and notice of this Tribunal against above opponent has been returned unserved.

This PUBLIC NOTICE is issued by the Tribunal for above Opponent. Take Notice of this claim that it will be heard by the Tribunal on 03-12-2015 at 10.30 A. M.

if you will not appear and file your defense, the claim will be decided ex-parte against you.

GIVEN UNDER MY HAND AND SEAL OF THE TRIBUNAL THIS 14 TH DAY OF OCTOBER, 2015.

हस्ता./-
(K. R. TRIVEDI,)
For, Dy. Registrar City Civil & Sessions Court
Ahmedabad.

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, सौरभ मसीह पिता श्री राजेश कुमार मसीह, उम्र 22 वर्ष, निवासी-नागदौने कालोनी, व्यापार विहार रोड, तहसील व जिला बिलासपुर (छ. ग.) का हूं. यह कि मेरे शैक्षणिक दस्तावेजों में मेरा नाम सौरभ मसीह (Saurabh masih) दर्ज है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम सौरभ जेवास (Saurabh Jewas) रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे सौरभ जेवास (Saurabh Jewas) पिता श्री राजेश कुमार मसीह के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

सौरभ मसीह
पिता - श्री राजेश कुमार मसीह
निवासी- नागदौने कालोनी, व्यापार विहार रोड,
तहसील व जिला बिलासपुर (छ. ग.)

नया नाम

सौरभ जेवास (Saurabh Jewas)
पिता - श्री राजेश कुमार मसीह
निवासी- नागदौने कालोनी, व्यापार विहार रोड,
तहसील व जिला बिलासपुर (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, साजिन्दर कुमार ग्रोवर पिता स्व. क्रिशन दास ग्रोवर, निवासी-''मधुबन'' मकान नं. 52, न्यू दीपक नगर दुर्ग, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूं. यह कि मेरी पुत्री का नाम शिल्पा ग्रोवर है तथा उसके समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्र तथा शासकीय अभिलेखों में दर्ज है. मेरी पुत्री का विवाह दिनांक 12-11-1997 को मीनेश वाघेला पिता स्व. बी. पी. वाघेला के साथ सम्पन्न हुआ. विवाह पश्चात् मेरी पुत्री का नाम शैक्षणिक प्रमाण पत्रों एवं शासकीय दस्तावेजों में शिल्पा वाघेला दर्ज है. मेरी पुत्री का दिनांक 15-07-2013 को विधिवत तलाक हो चुका है. तलाक होने के पश्चात् मैं अपनी पुत्री का नाम परिवर्तित कर नया नाम सिया शिल्पा ग्रोवर रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मेरी पुत्री को सिया शिल्पा ग्रोवर पिता श्री साजिन्दर कुमार ग्रोवर के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

शिल्पा ग्रोवर, शिल्पा वाघेला
पिता-श्री साजिन्दर कुमार ग्रोवर
निवासी-मकान नं. 52, मधुबन वाणी होटल के पीछे
न्यू दीपक नगर, दुर्ग
तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम

सिया शिल्पा ग्रोवर
(Siya Shilpa Grover)
पिता-श्री साजिन्दर कुमार ग्रोवर
निवासी-मकान नं. 52, मधुबन वाणी होटल के पीछे
न्यू दीपक नगर, दुर्ग
तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, प्राणेश कुमार शर्मा पिता श्री उमेश कुमार शर्मा, उम्र 34 वर्ष, जाति ब्राम्हण, निवासी-ग्राम + पोस्ट परसदा (जोशी), तहसील राजिम, जिला गरियाबंद (छ. ग.) वर्तमान निवासी-क्वा. नं. सी 696, कावेरी विहार, एन. टी. पी. सी. कालोनी जमनीपाली, तह. कटघोरा जिला कोरबा (छ. ग.) का हूं. यह कि मेरा वास्तविक व सही नाम प्राणेश कुमार शर्मा पिता श्री उमेश कुमार शर्मा है जो कि मेरे कक्षा 10वीं के अंकसूची, आधार कार्ड एवं मतदाता परिचय पत्र में अंकित है. मेरे एन. टी. पी. सी. लिमिटेड के सेवा अभिलेख, पेनकार्ड, बैंक एकाउन्ट, ड्रायविंग लाइसेंस, पी. पी. एफ. में मेरा नाम प्राणेश कुमार पिता श्री उमेश कुमार अंकित है. मैं अपने नाम के साथ उपनाम ''शर्मा'' को जोड़कर नया नाम प्राणेश कुमार शर्मा रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे प्राणेश कुमार शर्मा पिता श्री उमेश कुमार शर्मा के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

प्राणेश कुमार
पिता-श्री उमेश कुमार
स्थायी निवासी-ग्राम+पोस्ट परसदा (जोशी),
तहसील राजिम, जिला गरियाबंद (छ. ग.)
वर्तमान निवासी-क्वा. नं. C 696, कावेरी विहार,
एन. टी. पी. सी. कालोनी, जमनीपाली
जिला कोरबा (छ. ग.) पिन- 495450
मो. नं. 09424141926

नया नाम

प्राणेश कुमार शर्मा
पिता-श्री उमेश कुमार शर्मा
स्थायी निवासी-ग्राम+पोस्ट परसदा (जोशी),
तहसील राजिम, जिला गरियाबंद (छ. ग.)
वर्तमान निवासी-क्वा. नं. C 696, कावेरी विहार,
एन. टी. पी. सी. कालोनी, जमनीपाली
जिला कोरबा (छ. ग.) पिन- 495450
मो. नं. 09424141926

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, रामकृष्ण ताम्रकार, पिता श्री सीताराम ताम्रकार, उम्र 35 वर्ष, जाति तमेर, निवासी-ग्राम+पोस्ट गण्डई पण्डरिया, तहसील छुईखदान, जिला राजनांदगांव (छ. ग.) वर्तमान निवासी-क्वा. नं. सी 604, कावेरी विहार, एन. टी. पी. सी. कालोनी, जमनीपाली, तहसील कटघोरा, जिला कोरबा (छ. ग.) का हूं. यह कि मेरा वास्तविक व सही नाम रामकृष्ण ताम्रकार पिता श्री सीताराम ताम्रकार है जो मेरे आधार कार्ड, पेनकार्ड, ड्रायविंग लायसेंस, राशन कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, पी. पी. एफ, डी-मैट एकाउण्ट में अंकित है. मेरे सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्र, एन. टी. पी. सी. के सेवा अभिलेख, भूमि स्वामी हक के भूमि खाता में मेरा नाम रामकृष्ण पिता श्री सीताराम ताम्रकार अंकित है. मैं अपने नाम के साथ उपनाम ''ताम्रकार'' जोड़कर नया नाम रामकृष्ण ताम्रकार रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अतः अब मुझे रामकृष्ण ताम्रकार पिता श्री सीताराम ताम्रकार के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	**नया नाम**
रामकृष्ण पिता-श्री सीताराम ताम्रकार स्थायी निवासी-ग्राम+पोस्ट गंडई पंडरिया जिला राजनांदगांव (छ. ग.) पिन- 491888 वर्तमान निवासी-क्वा. नं. सी 604 कावेरी विहार, एन. टी. पी. सी. कालोनी, जमनीपाली जिला कोरबा (छ. ग.) मो. नं. 09424141931	रामकृष्ण ताम्रकार पिता-श्री सीताराम ताम्रकार स्थायी निवासी-ग्राम+पोस्ट गंडई पंडरिया जिला राजनांदगांव (छ. ग.) पिन- 491888 वर्तमान निवासी-क्वा. नं. सी 604 कावेरी विहार, एन. टी. पी. सी. कालोनी, जमनीपाली जिला कोरबा (छ. ग.) मो. नं. 09424141931

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक सार्वजनिक न्यास रायपुर (छ. ग.)

रायपुर, दिनांक 9 अक्टूबर 2015

प्र. क्र./ /ब-113 (1)/वर्ष 2014-15

क्रमांक/272/अ.वि.अ./ट्रस्ट/2015.—आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक श्री रोमी भास्कर आत्मज श्री राजू भास्कर साकिन सेजबहार रायपुर तहसील व जिला रायपुर ने ''सतनाम पब्लिक मिशन ट्रस्ट'' पता मकान नं. 110 (एल. आई. जी.) हाउसिंग बोर्ड कालोनी प्रगति कालेज के पास सेजबहार रायपुर तहसील व जिला रायपुर का छ. ग. लोक न्यास अधिनियम 1951 की धारा-4 (1) के अनुसार निम्नलिखित अनुसूची में दर्शायी गई संपत्ति को पब्लिक ट्रस्ट के रूप में पंजीयन कराने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है :-

अनुसूची

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम, पता व संपत्ति का विवरण)

(1)	पब्लिक ट्रस्ट का नाम व पता	:	''सतनाम पब्लिक मिशन ट्रस्ट'' पता मकान नं. 110 (एल. आई. जी.) हाउसिंग बोर्ड कालोनी प्रगति कालेज के पास सेजबहार रायपुर तहसील व जिला रायपुर
(2)	चल संपत्ति	:	7000/- रु. नगद
(3)	अचल संपत्ति	:	निरंक

यदि किसी भी व्यक्ति को उक्त ट्रस्ट अथवा संपत्ति में अभिरूचि हो और ट्रस्ट के संबंध में कोई आक्षेप करने की इच्छा हो या सुझाव देना हो तो वे इस सूचना निकलने की एक माह की अवधि में इस न्यायालय में अपने लिखित वक्तव्य की दो प्रतियां प्रस्तुत करे और पेशी के दिन कार्यालय समय में स्वत: या अपने अधिवक्ता अथवा एजेन्ट के माध्यम से 10-11-2015 को उपस्थित होवें. निर्धारित तिथि के पश्चात् प्रस्तुत किए गए आक्षेपों पर किसी भी प्रकार का विचार नहीं किया जावेगा.

यह ईश्तहार आज दिनांक 09-10-2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया.

रायपुर, दिनांक 7 अक्टूबर 2015

प्र. क्र./ /ब-113 (1)/वर्ष 2014-15

क्रमांक/273/अ.वि.अ./ट्रस्ट/2015.—आम जनता को सूचित किया जाता है कि मौलाना मोहम्मद अली फारूकी निवासी बैजनाथपारा मदरसा के पीछे रायपुर तहसील व जिला रायपुर द्वारा ''फखरूल औलिया ट्रस्ट'' पता-मदरसा इस्लाहुल मुस्लेमीन दारूल यतामा, मौलाना अब्दुल रऊफ वार्ड बैजनाथपारा रायपुर तहसील व जिला रायपुर का छ. ग. लोक न्यास अधिनियम 1951 की धारा-4 (1) के अनुसार निम्नलिखित अनुसूची में दर्शायी गई संपत्ति को पब्लिक ट्रस्ट के रूप में पंजीयन कराने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है :-

अनुसूची

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम, पता व संपत्ति का विवरण)

(1)	पब्लिक ट्रस्ट का नाम व पता	:	''फखरूल औलिया ट्रस्ट'' पता-मदरसा इस्लाहुल मुस्लेमीन दारूल यतामा, मौलाना अब्दुल रऊफ वार्ड बैजनाथपारा रायपुर तहसील व जिला रायपुर
(2)	चल संपत्ति	:	5000/- रु. नगद
(3)	अचल संपत्ति	:	निरंक

यदि किसी भी व्यक्ति को उक्त ट्रस्ट अथवा संपत्ति में अभिरूचि हो और ट्रस्ट के संबंध में कोई आक्षेप करने की इच्छा हो या सुझाव देना हो तो वे इस सूचना निकलने की एक माह की अवधि में इस न्यायालय में अपने लिखित वक्तव्य की दो प्रतियां प्रस्तुत करे और पेशी के दिन कार्यालय समय में स्वत: या अपने अधिवक्ता अथवा एजेन्ट के माध्यम से 23-11-2015 को उपस्थित होवे. निर्धारित तिथि के पश्चात् प्रस्तुत किए गए आक्षेपों पर किसी भी प्रकार का विचार नहीं किया जावेगा.

यह ईश्तहार आज दिनांक 07-10-2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया.

एस. के. अग्रवाल,
अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक.

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं लोक न्यास का पंजीयक, जगदलपुर, जिला बस्तर

जगदलपुर, दिनांक 16 अक्टूबर 2015

प्रारूप क्रमांक-5

[देखें नियम 5 (1)]

[छत्तीसगढ़ लोक न्यास अधिनियम 1951 [1951 का 30] और छत्तीसगढ़ लोक न्यास नियम 1962 के नियम 5 (1) द्वारा]

राजस्व प्रकरण क्रमांक-02/ ब-113 (1)/2015-16

लोक न्यासों के पंजीयक, जगदलपुर, जिला बस्तर के समक्ष

क्रमांक/1637/अ.वि.अ./लो. न्या. पं./2015.—अतः मुझे यह प्रतीत होता है कि अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति छत्तीसगढ़ लोक न्यास अधिनियम 1951 (1951 का 30) की धारा 2 की उपधारा (4) के आशय के अधीन उज्जवल वेलफेयर चेरिटेबल ट्रस्ट, जगदलपुर, जिला बस्तर लोक न्यास का गठन करती है.

अब इसलिए, मैं एस. आर. कुर्रे, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं लोक न्यास का पंजीयक, जगदलपुर, जिला बस्तर मेरे न्यायालय में दिनांक 09 नवम्बर, 2015 दिन सोमवार को, कथित अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) में यथा अपेक्षित, मामले में जांच करने को प्रस्तावित करता हूँ.

एतद्द्वारा सूचना पत्र दिया जाता है कि कथित न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यास या इसमें हितबद्ध कोई व्यक्ति और आपत्ति या सुझाव देने का आशय रखने वाले को दो प्रतियों में सूचना, सूचना पत्र की प्रकाशन की तिथि से एक माह के भीतर लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिए और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जायेगा.

अनुसूची

(उज्जवल वेलफेयर चेरिटेबल ट्रस्ट, जगदलपुर, जिला बस्तर की सम्पत्ति का विवरण)

1.	पण्डरीपानी, तहसील जगदलपुर में 0.090 हे. भूमि	रुपये	60,000-00 (अनुमानित)
2.	सेन्ट्रल बैंक, जगदलपुर शाखा में जमा राशि	रुपये	01,000-00 (फिक्स डिपाजिट)
3.	नगद राशि	रुपये	04,560-00
4.	मोटर साईकिल सीजी 17 केबी-3100	रुपये	65,100-00 (अनुमानित)

जगदलपुर, दिनांक 16 अक्टूबर 2015

प्रारूप क्रमांक-5

[देखें नियम 5 (1)]

[छत्तीसगढ़ लोक न्यास अधिनियम 1951 (1951 का 30) और छत्तीसगढ़ लोक न्यास नियम 1962 के नियम 5 (1) द्वारा]

राजस्व प्रकरण क्रमांक-01/ ब-113 (1)/2015-16

लोक न्यासों के पंजीयक, जगदलपुर, जिला बस्तर के समक्ष

क्रमांक/1639/अ.वि.अ./लो. न्या. पं./2015.—अतः मुझे यह प्रतीत होता है कि अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति छत्तीसगढ़ लोक न्यास अधिनियम 1951 (1951 का 30) की धारा 2 की उपधारा (4) के आशय के अधीन चन्दैया मेमोरियल मेथोडिस्ट एपिस्कोल चर्च, जगदलपुर, जिला बस्तर लोक न्यास का गठन करती है.

अब इसलिए, मैं एस. आर. कुर्रे, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं लोक न्यास का पंजीयक, जगदलपुर, जिला बस्तर मेरे न्यायालय में दिनांक 09 नवम्बर, 2015 दिन सोमवार को, कथित अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) में यथा अपेक्षित, मामले में जांच करने को प्रस्तावित करता हूँ.

एतद्द्वारा सूचना पत्र दिया जाता है कि कथित न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यास या इसमें हितबद्ध कोई व्यक्ति और आपत्ति या सुझाव देने का आशय रखने वाले को दो प्रतियों में सूचना, सूचना पत्र की प्रकाशन की तिथि से एक माह के भीतर लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिए और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिश: अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जायेगा.

अनुसूची

(चन्दैया मेमोरियल मेथोडिस्ट एपिस्कोल चर्च, जगदलपुर, जिला बस्तर की सम्पत्ति का विवरण)

1.	चर्च, हॉस्टल, स्कूल, आवासीय भवन एवं भू-भाग	रुपये	32,50,000-00 (अनुमानित)
2.	यूनियन बैंक, जगदलपुर शाखा में जमा राशि	रुपये	49,46,796-00 (फिक्स डिपाजिट)
3.	यूनियन बैंक, जगदलपुर शाखा में जमा राशि	रुपये	49,46,796-00 (बचत राशि)
4.	संरक्षकों के पास	रुपये	08,24,554-00
5.	नगद राशि (कैश बाक्स में)	रुपये	70,000-00

एस. आर. कुर्रे,
अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक.

कार्यालय पंजीयक लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) दुर्ग, जिला दुर्ग

दुर्ग, दिनांक 13 अक्टूबर 2015

प्रारूप

[देखें नियम 5 (1)]

[छत्तीसगढ़ लोक न्यास अधिनियम 1951 (1951 का 30) और छत्तीसगढ़ लोक न्यास नियम 1962 के नियम 5 (1) द्वारा]

क्रमांक/1683/प्र.2/अ.वि.अ./2015.—यत: कि श्री संतोष कुमार अग्रवाल आ. श्री ठाकुरसी दास अग्रवाल मैनेजिंग ट्रस्टी-द्वारा ''हरिओम बाबा गौरक्षण ट्रस्ट-हरिओम कृपा वार्ड नं. 36 न्यू खुर्सीपार भिलाई तहसील व जिला दुर्ग'' के लोक न्यास अधिनियम 1951 (1951 का 30) की धारा 4 के अन्तर्गत एक आवेदन अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति के लिए लोक न्यास के रूप में पंजीयन किए जाने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया है, एतद्द्वारा सूचना पत्र दिया गया है कि कथित आवेदन पर दिनांक 18-11-2015 को मेरे न्यायालय में विचार किया जाएगा.

किसी आपत्ति या सुझाव का आशय रखते हुए कथित न्यास या सम्पत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति इस सूचना पत्र के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिए और समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिश: अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि के अवसान होने के उपरांत प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जाएगा.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम, पता व संपत्ति का विवरण)

(1)	लोक न्यास का नाम व पता	:	''हरिओम बाबा गौरक्षण ट्रस्ट-हरिओम कृपा वार्ड नं. 36 न्यू खुर्सीपार भिलाई तहसील व जिला दुर्ग ''
(2)	चल संपत्ति	:	2,51,000-00 दो लाख इक्यावन हजार रुपये (20-07-2015 की स्थिति में)
(3)	अचल संपत्ति	:	निरंक

दुर्ग , दिनांक 13 अक्टूबर 2015

प्रारूप

[देखें नियम 5 (1)]

[छत्तीसगढ़ लोक न्यास अधिनियम 1951 (1951 का 30) और छत्तीसगढ़ लोक न्यास नियम 1962 के नियम 5 (1) द्वारा]

क्रमांक/1682/प्र.2/अ.वि.अ./2015.—यत: कि श्री संतोष कुमार अग्रवाल आ. श्री ठाकुरसी दास अग्रवाल मैनेजिंग ट्रस्टी-द्वारा ''अग्रवाल परमार्थिक ट्रस्ट-हरिओम कृपा वार्ड नं. 36 न्यू खुर्सीपार भिलाई तहसील व जिला दुर्ग'' के लोक न्यास अधिनियम 1951 (1951 का 30) की धारा 4 के अन्तर्गत एक आवेदन अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति के लिए लोक न्यास के रूप में पंजीयन किए जाने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया है, एतद्द्वारा सूचना पत्र दिया गया है कि कथित आवेदन पर दिनांक 18-11-2015 को मेरे न्यायालय में विचार किया जाएगा.

किसी आपत्ति या सुझाव का आशय रखते हुए कथित न्यास या सम्पत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति इस सूचना पत्र के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिए और समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिश: अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि के अवसान होने के उपरांत प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जाएगा.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम, पता व संपत्ति का विवरण)

(1)	लोक न्यास का नाम व पता	:	''अग्रवाल परमार्थिक ट्रस्ट-हरिओम कृपा वार्ड नं. 36 न्यू खुर्सीपार भिलाई तहसील व जिला दुर्ग ''
(2)	चल संपत्ति	:	2,00,000-00 दो लाख रुपये
(3)	अचल संपत्ति	:	निरंक

ए. के. बाजपेयी,
अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2015.